श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलिज, देहरादून में शैक्षिक सत्र 2017–18 के छात्र/छात्राओं के लिए

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2017–18 में केन्द्रीयकृत काउन्सलिंग द्वारा आवंटित छात्रों के सन्दर्भ में रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति द्वारा दिनांक 06.10.2017 को निम्न निर्णय लिए गए हैं।

1. कुछ छात्रों द्वारा दायर रिट याचिका सं0 2389/2017 में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 21.09.2017 के सम्बन्ध में विधिक राय लेने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मा0 न्यायालय द्वारा रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय जिससे कि श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलिज सम्बद्ध है, की अधिशासी समिति के निर्णय दिनाँक 12.09.2017 पर कोई रोक नहीं लगाई है। अपितु छात्रों से "अण्डरटेकिंग" देने के लिए ही कहा है।

   अतः सभी उन छात्र/छात्राओं जिन्होंने पंजीकृत एम0ओ0यू0/अण्डरटेकिंग नहीं दी है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अविलम्ब विद्यालय द्वारा निर्धारित एम0ओ0यू0/अण्डरटेकिंग विद्यालय में जमा करें। उनके द्वारा जमा की गई पंजीकृत एम0ओ0यू0/अण्डरटेकिंग मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 2389/2017 में पारित अंतिम आदेश पर आधारित होगी।

   यह ध्यान देने योग्य है कि जिन छात्रों ने मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश का हवाला देते हुए कथित एम0ओ0यू0/अण्डरटेकिंग जमा किए हैं वे भी मा0 न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नहीं है तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने के दोष से ग्रसित है अतः अस्वीकार हैं।

2. जिन छात्रों ने पंजीकृत एम0ओ0यू0/अण्डरटेकिंग जमा कर दिए हैं उनके प्रवेश नियमित कर दिए गए हैं तथा उन्हें नियमित प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।

3. छात्रों द्वारा अण्डरटेकिंग न देने, हंगामा करने, अस्पताल के कार्य में बाधा डालने के कारण विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2017–18 के छात्र/छात्राओं के लिए बन्द कर दिया गया था।

4. दीपावली की छुट्टियों का भी संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालय दिनाँक 23.10.2017 से पुनः खोला जाएगा। परन्तु केवल वे छात्र ही कक्षाओं में जाने के लिए अर्ह होंगे जिनके प्रवेश नियमित घोषित किये जा चुके हैं या तब तक कर दिया जाएँगे।

5. सभी छात्र एवं अभिभावक ध्यान दें कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र 2017–18 को कोई शरद अथवा ग्रीष्म अवकाश नहीं दिए जायेंगे।

6. ऐसे सभी नियमित छात्र जो होस्टल में रहेंगे उनके लिए सूचना है कि वे 22.10.2017/23.10.2017 तक होस्टल में अपना कमरा ले लें। उनकी सुविधा हेतु विद्यालय रविवार 22.10.2017 को भी खुलेगा।

7. औपबन्धिक रूप से प्रवेशित छात्र जिन्होंने विद्यालय द्वारा बताया गया पंजीकृत एम0ओ0यू0/अण्डरटेकिंग जमा नहीं किया है उन्हें कक्षाओं में उपस्थिति नहीं दी जाएगी। अतः सभी छात्र एवं उनके अभिभावक ध्यान दें कि वे शीघ्र अतिशीघ्र पंजीकृत एम0ओ0यू0/अण्डरटेकिंग विद्यालय में जमा कर दें।

आज्ञा से कुलसचिव
रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय